न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 11/ 2019 जिला सीकर

मनरूप पुत्र सूरजाराम, जाति जाट, निवासी माजी साहब की ढाणी (गोविन्दपुरा) तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. हमीर सिंह पुत्र मानाराम
2. मनोहरी देवी पत्नी हमीर सिंह
3. सुरेश कुमार पुत्र हमीर सिंह
4. सुभाष चन्द पुत्र हमीर सिंह

समस्त जाति जाट, निवासी माजी साहब की ढाणी (गोविन्दपुरा) तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

5. रामलाल पुत्र हणमानराम
6. शिवपाल पुत्र हणमानराम
7. दाखु पत्नी हणमानराम
8. धर्मपाल पुत्र नाथू
9. शीषराम पुत्र नाथू

समस्त जाति जाट, निवासी माजी साहब की ढाणी (गोविन्दपुरा) तहसील खण्डेला , जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा भू अभिलेख अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 12.2.2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजाराम चौधरी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री कैलाश चन्द पारीक

निर्णय

दिनांक –29.5.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.2.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

यह कि रेस्पोंडेन्ट हमीर सिंह वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर को प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर व तन ग्रम माजीसाहब की ढाणी पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित है जिसका उनके द्वारा दिनांक 8.6.2017 को तहसीलदार खण्डेला के आदेश पृष्ठ संख्या 73 कमांकः 6 दिनांक 24.4.2017 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया था । खसरा नम्बर 77 व 78 के अप्रार्थी संख्या 1 से 6 खातेदार काश्तकार है, जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 79 के उत्तरी तरफ के पडौसी खातेदार काश्तकार है जिनके द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव आदि को नष्ट कर अतिक्रमण करते आ रहे हैं तथा कहने सुनने से मानते नहीं है तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते हैं । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वर्णित मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.6.17 के अनुसार मौक पर नहीं होने से प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाश्त की भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है । अतः प्राथीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर तन ग्रम माजीसाहब की ढाणी पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर की उत्तरी सीमा की पत्थरगढी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.6.17 के अनुसार किये जाने के आदेश तहसीलदार खण्डेला को प्रदान करने की कृपा करें ।

प्रति
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2.2019 पारित किया कि "चूंकि पत्थरगढी की कार्यवाही समरी ट्रायल होती है तथा अप्रार्थी भी पुनः सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त पत्थरगढी करवाने का निवेदन कर रहे हैं । अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर 79 का विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करावें तथा यदि कोई दिगर विवाद विद्यमान हो तो उसकी रिपोर्ट करें ।"

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला के उक्त निर्णय दिनांक 12.2.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 12.2.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 79 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 77 व 78 स्थित है जिस पर बुजुर्गो के समय ही सींव मेड लगी हुई है, जो वर्षो पुरानी है । उनका कहना था कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.4.2017 के पैरा संख्या 6 में अंकित किया है कि उक्त सींव डोल पर अरणिया व ककेडा के पेड लगे हुये हैं ऐसी स्थिति में तहसीलदार खण्डेला से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करना आवश्यक होने के पश्चात् भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.6.2017 पुख्ता सीमा चिन्हों के आधार पर तैयार नहीं कर खसरा नम्बर 83 व खसरा नम्बर 101 के कोने को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए की गई है, जो किसी भी आधार पर सही नहीं है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा पत्थरगढी हेतु आवेदन खसरा नम्बर 79 की उत्तरी सीमा हेतु ही प्रस्तुत किया था जो कानूनन पोषणीन नही था । उनका कहना था कि कानूनन सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात् ही सीमाज्ञान रिपार्ट के आधार पर पत्थरगढी किये जाने का प्रावधान है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में सीमाज्ञान करवाये जाने के साथ ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करने के आदेश पारित किये हैं, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर व तन ग्राम माजीसाहब की ढाणी पटवार हल्का गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर का दिनांक 8.6.2017 को तहसीलदार खण्डेला के आदेश दिनांक 24.4.2017 से विधिवत तरीके से सीमाज्ञान हुआ था । खसरा नम्बर 77 व 78 के अपीलान्ट्स खातेदार काश्तकार है जो रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 79 के उत्तरी तरफ के पडौसी खातेदार काश्तकार है जिनके द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव आदि को नष्ट कर अतिक्रमण करते आ रहे हैं तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा रहते हैं । रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी , सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.6.17 के अनुसार मौके पर नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा की पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2.2019 पारित कर रेस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना प स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया गया कि विवादि खसरा नम्बर 79 का विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति सीमाज्ञान करवाया कर नियमानुसार जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जा

Scanned by CamScanner

पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करावें तथा यदि कोई दिगर विवाद विद्यमान हो तो उसकी रिपोर्ट करें । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्यक है जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि खसरा नम्बर 79 के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी के संबंध में है । रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर की उत्तरी सीमा की पत्थरगढी करवाने हेतु उनके प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2.2019 पारित कर रेस्पोंडेन्ट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया गया कि विवादित खसरा नम्बर 79 का विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया कर नियमानुसार जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करावें तथा यदि कोई दिगर विवाद विद्यमान हो तो उसकी रिपोर्ट करें । दूसरी ओर अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति है कि अपीलान्ट्स की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 79 के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 77 व 78 स्थित है जिस पर बुजुर्गो के समय ही सींव मेड लगी हुई है, जो वर्षो पुरानी है । उनका कहना था कि पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 20.4.2017 के पैरा संख्या 6 में अंकित किया है कि उक्त सींव डोल पर अरणिया व ककेडा के पेड लगे हुये हैं ऐसी स्थिति में तहसीलदार खण्डेला से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करना आवश्यक होने के पश्चात् भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 3.94 हैक्टेयर ग्रम माजीसाहब की ढाणी , तहसील खण्डेला जिला सीकर को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराने का विधिक अधिकार है और रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 8.6.2017 के अनुसार पत्थरगढी कराने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.2.2019 से पत्थरगढी की कार्यवाही समरी ट्रायल होने तथा अप्रार्थी भी पुनः सीमाज्ञान करवाने के उपरान्त पत्थरगढी करवाने का निवेदन करने से उक्त तथ्यों के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिया गया कि विवादित खसरा नम्बर 79 का विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर नियमानुसार जमा योग्य राशि राजकोष में जमा की जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करावें तथा यदि कोई दिगर विवाद विद्यमान हो तो उसकी रिपोर्ट करें । हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में विवादित भूमि का सीमाज्ञान उभय पक्षकारों की उपस्थिति में किये

Scanned by CamScanner

जाने एवं उसके पश्चात् पत्थरगढी की कार्यवाही की जानी है , जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. संभागीय आयुक्त

जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner